अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कालू बनाम श्रीमती जमना वगैरह ।

आ. स्वीकार / स्थगन
01.06.2023

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या: 169/2023 (मसूदा)

	श्रीशौकिन्द लाल गुर्जर एडवोकेट	
29.05.2023	कालू बनाम श्रीमती जमना वगैरह (169/2023) यह अपील श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एडवोकेट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मसूदा के द्वारा प्रकरण संख्या 110/2020 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसमे समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पेश किया गया। अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
01.06.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र हेतु प्रस्तुत हुयी। प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 29.05.2023 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के न्यायहितों के विरूद्ध अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया, जो राजस्व अभिलेख व विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है जो अपीलांट के हितो के प्रति अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है तथा आदेश 39 नियम 3 क जाप्ता दीवानी की पालना नहीं गयी है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट को उक्त प्रकरण में लिप्त आराजी खातेदार काश्तकार मोती वल्द लाला जाति मेहरात से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2017 के द्वारा अपीलांट की खरीद शुदा आराजी है जो अपीलांट स्वंय की अर्जित खरीद शुदा आराजी है जिसके वे खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही है। राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा बनाये गये प्रावधानो एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश की पालना स्थगित नहीं की गई तो अपीलांट को भारी असहनीय आर्थिक एवं मानसीक क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना किसी भी रूप से संभव नहीं होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा को सतुंलन भी अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 08.1. 2021 की पालना, प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में लिप्त आराजी खातेदार काश्तकार मोती वल्द लाला जाति मेहरात से उनके हिस्से	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कालू बनाम श्रीमती जमना वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 169/2023 (मसूदा)

की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 17.05.2017 के द्वारा अपीलांट ने खरीद की है तथा वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को 02 वर्ष से लंबित किया हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति अपीलांट को होनी है। चूंकि यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 26.11.2020 से ही विचाराधीन है तथा दिनांक 08.01.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जिसे लगभग 2 वर्ष से अधिक हो चुके है तथा उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 2 सप्ताह में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी , मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 15 दिवस में निस्तारण करें, यदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का जवाब पेश होने पर 15 दिवस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2021 स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर